न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 133 / 2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024 / 195

प्रार्थी:–

सदाम हुसैन पुत्र मोईनुदीन जाति मुसलमान निवासी व्यापारियों का बास खैरवा, पाली, जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुमित्रा पत्नी स्व. ओमप्रकाश
2. विजयलक्ष्मी पुत्री स्व. ओमप्रकाश
3. प्रवीण पुत्र स्व. ओमप्रकाश
4. कुशल पुत्र स्व. ओमप्रकाश
5. देवी कुमारी पत्नी स्व. सुरेश कुमार
6. सुनील पुत्र स्व. सुरेश कुमार
7. ललीता पुत्री स्व. सुरेश कुमार
8. भावना पुत्री स्व. सुरेश कुमार
   जतिगण सोनी, निवासीगण ग्राम खैरवा, तहसील पाली जिला पाली
9. ग्राम पंचायत खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश प्रजापत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ पाली (राज.) ★

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/01/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 09 दिनांक 06.06.1996, प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 19.01.2007 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4259 दिनांक 05.02.2007 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पूर्वज स्व. ओमप्रकाश सोनी व सुरेश कुमार सोनी पुत्र स्व. पुसाराम सोनी निवासी खैरवा के पक्ष में विधिविरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया। जैर निगरानी आराजी पूर्व में ठिकाणा खैरवा की पुश्तैनी व कब्जा सुदा भूमि थी, जिसका बेचाण दस रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 23.05.1996 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज स्व. ओमप्रकाश के पक्ष में कर दिया, जिसकी पंजीयन नहीं करवाया गया। ग्राम पंचायत ने जैर आराजी को पुश्तैनी मानते हुये ओमप्रकाश व उसके भाई सुरेश कुमार के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टा 9849 वर्गफीट का है तथा उक्त भूमि वर्तमान में खाली पडी है जिस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज में विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 09 दिनांक 06.06.1996, प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 19.01.2007 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4259 दिनांक 05.02.2007 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया जैर आराजी पर वर्तमान में केवल भूखण्ड है किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत ने खाली भूखण्ड का नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से यह जाहिर नहीं होता है कि जैर आराजी पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2017(2)DNJ(Raj)730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ''राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।''

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र यह भी था कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत 9848.79 वर्गफीट का जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वगर्गज तक के पट्टे ही जारी किये जाने के प्रावधान है। जहां तक पट्टा जारी करने के आधार के 1996 के नियम 157 के अनुरूप होने का सम्बन्ध है न्यायालय का मत है कि नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वगर्गज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दारों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2020(1)DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ''राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे जारी नहीं किया जा सकता है।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं होने से कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 09 दिनांक 06.06.1996, प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 19.01.2007 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4259 दिनांक 05.02.2007 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख, ग्राम पंचायत खैरवा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)